TEN RUPEES FIVE RUPEES

(119)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

R-1255-II/2002

प्र०क्र०   /2002 पुनरीक्षण

1- बुपेन्द्रसिंह
2- विजय कुमार सिंह } पुत्रगण रतनसिंह
3- विनयसिंह

निवासीगण ग्राम गहरी तहसील गुढ जिला रीवा (म०प्र०) ---------- आवेदकगण

विरुद्ध

1- इन्द्रबहादुरसिंह तनय गोपालसिंह
2- श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी इन्द्रबहादुरसिंह
3- संजयसिंह तनय सुखनिधानसिंह
4- कमला सिंह पत्नी स्व० सुखनिधानसिंह

निवासीगण ग्राम गहरी तहसील गुढ जिला रीवा (म०प्र०) --------- अनावेदकगण

अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक 279/2001-2002 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-5-2002 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

29 MAY 2002

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, मनमाना तथा क्षेत्राधिकारशून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है :-

(2) यह कि तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत प्रथम अपील को समयबाधित होना मानकर निरस्त किया गया

--- 2

आवेदकगण के हिस्से की भूमि पर ...यालय की कार्यवाही

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1255—दो / 02 जिला —रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
25.7.17	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 2— आवेदकगण के अधिवक्ता ने संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र के साथ सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 रीवा के न्यायालय के वाद कमांक 76—ए / 2009 की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुये बताया कि आवेदकगण एवं अनावेदक के मध्य व्यवहार न्यायालय में समझौता हो गया है, एवं समझौते के अनुसार व्यवाहर न्यायाधीश ने दिनांक 18.10.2011 को व्यवहार वाद में हुये समझौते एवं न्यायालय के निर्णय के अनुसार राजस्व अभिलेखों में पक्षकारों की प्रविष्टियां की जाना है। अतः तहसीलदार न्यायालय को तदनुसार निर्देशित किया जाय। 3— अनावेदक के अधिवक्ता ने व्यवाहार न्यायालय के निणय एवं डिकी का पालन किये जाने पर सहमति प्रदान की है। 4— उपरोक्त तर्को एवं व्यवाहार न्यायालय के निर्णण एवं डिकी के प्रकाश में तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है, कि दोनों पक्षों को सुनवकर व्यवाहर न्यायालय के निर्णय एवं डिकी के अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की कार्यवाही करें। सदस्य	